रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1199] नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 2014/ज्येष्ठ 14, 1936
No. 1199] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 2014/JYAISTHA 14, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून 2014

का.आ. 1445(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्ध नगर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उप कलेक्टर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेड कॉरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिला का नाम–गौतमबुद्ध नगर **राज्य –उत्तर प्रदेश**

क्रं. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्लाट सं.	भूमि अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षे. (हे. में)
1	सदर	1. अस्तौली	223	0.0274
			238	0.0724
			295	0.0542
			296	0.0468
			268	0.0208
			353	0.2600
			205	0.0240
			297	0.0100
		2. देवटा	50	0.0216
			58	0.0130
			104	0.0222
			163	0.1386
			190	0.0950
		3. रघुनाथपुर	211	0.0164
			233	0.1144
			235	1.0756
			163	0.0100
			164	0.0140
		4. खैरलीहफीजपुर	509	0.0230
			486	0.0744
			259	0.1520
			247	0.0950
			514	0.0548
			489	0.0424
		5. जमालपुर	71	0.0560
		6. चीरसी	378	0.1470
			122	0.0288
			157	0.0080
2	दादरी	1. अजायबपुर	149	0.0158
			63	0.0554
			66	0.0188
			64	0.0410
		2. चमरावलीरामगढ़	691	0.0448
		3. मायचा	476	0.0432
			363	0.0100
			362	0.0772
			410	0.0564
		4. पाली	607/890	0.0510

[फा. सं. 2013/एलएमएल/12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/485]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक/भूमि एवं सुविधाएं–1

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2014

S.O. 1445(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989)(Hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Gautambudh Nagar in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy Collector, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh in Writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall given the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of U.P.

Name of District:G.B. Nagar

Sr. No.	Name of the Tehsil	Name of Village	Plot No.	Area Proposed for land Acquisition (in hect.)
1	Sadar	1. Astoli	223	0.0274
			238	0.0724
			295	0.0542
			296	0.0468
			268	0.0208
			353	0.2600
			205	0.0240
			297	0.0100
		2.Devta	50	0.0216
			58	0.0130
			104	0.0222
			163	0.1386
			190	0.0950
		3. Raghunathpur	211	0.0164
			233	0.1144
			235	1.0756
			163	0.0100
			164	0.0140
		4. Kherli Hafizpur	509	0.0230
			486	0.0744

			259	0.1520
			247	0.0950
			514	0.0548
			489	0.0424
		5. Jamalpur	71	0.0560
		6. Chirsi	378	0.1470
			122	0.0288
			157	0.0080
2	**Dadri**	1. Ajayabpur	149	0.0158
			63	0.0554
			66	0.0188
			64	0.0410
		2. Chamrawali Ramgarh	691	0.0448
		3. Maycha	476	0.0432
			363	0.0100
			362	0.0772
			410	0.0564
		4. Palli	607/890	0.0510

[F. No. 2013/LML/12/7/EC/485]

ACHAL JAIN, Executive Director/Land & Amenities-1

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.